

(विधि अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // २९ जनवरी, 2009

विज्ञप्तिविषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम -12बी(20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एवं ३०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-२००८ की धारा ८१ को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के समुख निम्नलिखित फार्म मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
१	सर्वश्री माडल फुटवियर प्राइलि०, ए-३४, सै०-६४ नोएडा	फार्म-३ख संख्या-२३००११ से २३००६० तक	खोने के कारण	५०
२	म० बुधौलिया दाल उद्योग, ग्रेन मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट, राठ (हमीरपुर) ३० प्र०	फार्म-३ग (१) संख्या-०२६७७८ एवं टिकट संख्या-१००४८१२	खोने के कारण	०१

(के० सी० केसररवानी)

एडीशनल कमिशनर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।प००१० सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, ३०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- २- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- ३- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-२, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- ४- महालेखाकार, ३०प्र० १७१-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद।
- ५- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१ वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाये तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- ६- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाये तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- ७- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- ८- समस्त डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- ९- ज्वाइन्ट कमिशनर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ।
- १०- समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों।
- ११- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।
- १२- सूचना केन्द्र को ५ अंतिरिक्त प्रतियों।
- १३- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को ५ प्रतियों एवं विधि अनुभाग को १५ अंतिरिक्त प्रतियों।

(सुशील कुमार दुबे)

वाणिज्य कर अधिकारी (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय।